भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3399
दिनांक 09 **अगस्त**, 2021

एथेनॉल के प्रतिकूल प्रभाव

3399. **श्री हाजी फजलुर रहमान**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में पेट्रोल कंपनियों को पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रित करने से वाहनों के इंजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार अपना निर्णय बदलने पर विचार कर रही है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ड.): भारत सरकार तेल विपणन कंपनियों (ओएमीसज) के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम (ईबीपी) कार्यक्रम को लागू कर रही है, जिसके माध्यम से आयात निर्भरता कम करने, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने तथा कृषि क्षेत्र को गति प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण किया जा रहा है। 10% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई10) से वाहन के निष्पादन को सिद्ध करने के उद्देश्य से ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा एक संयुक्त अध्ययन किया गया। संबंधित पणधारकों के साथ परामर्श करने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने वर्ष 2014 में ई10 मिश्रण के लिए ईंधन विनिर्देशन जारी किए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने दिनांक 05 फरवरी, 2019 की अधिसूचना द्वारा ओएमसीज को निर्देश दिए हैं कि बीआईएस विनिर्देशनों के अनुसार 10% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचा जाए।

****